

[SHRI RAGHUNATHA REDDY]

theless, some of the allegations which he sought to make are strongly denied.

SHRI G. VISWANATHAN : Is he denying Shrimati Lakshmi Raghu Ramaiah ?

MR. SPEAKER : Let him consult her first and then say.

12.45 hrs.

RE QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Bada-gara) : What about my motion of privilege, Sir ?

MR. SPEAKER : I wish you could see this letter from Shri Madhu Limaye that I have received in response to your privilege motion.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I have not been given a copy

MR. SPEAKER : That was in Hindi and I got it translated into English.

श्री मधु लिमये (बोका) : अध्यक्ष महोदय, कम इन्होंने कहा था कि हम इनका उठावेंगे। इस विषये मुझे पढ़ने की इजाजत दे, मैं अपने जवाब को पढ़ना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय अगर आप सदन में पढ़ना चाहते हैं तो वह भी बहलेंगे। आप ने मुझे कहा था कि आप मुझे लिख कर भेज देंगे, मेरे पास अभी 10 मिनट हुआ थाया था, मैं तबतक मैं बैठा था, इस विषये उस पर कार्य नहीं कर सकता था। इस का बंधन बहुत कम है, आप ने भी इस को इधर उधर डाला है।

श्री मधु लिमये अगर यह सदन के मामलों में आना नहीं बनाना चाहते तो।

MR. SPEAKER : He does not understand Hindi. So I got it translated into English.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandi-wash) : He must be given a copy of it.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Yes.

श्री मधु लिमये : उन्होंने सदन में क्यों उठाया, इस विषये अब मैं सदन में बोलूंगा।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : A clear-cut charge has been made. He has to say whether it is correct or not. He should not be allowed to use this forum for any other purpose.

MR. SPEAKER : Do you want to see the reply in advance ?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : It is not necessary; it is for you to decide

श्री मधु लिमये यह मामला सदन के सामने उठा है, अध्यक्षजी ने उठा है, इस विषये मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय कम आपको मैंने कुछ कहने कहा दिया। आप ने कहा था कि मैं जवाब भेजना। अगर उन्नीक्रिश्नन जी अभी उठना चाहते हैं तो उठायें।

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH (Phulpur) : On a point of order. When a member has been requested to confirm whether a report is correct or not, is he entitled to give a long explanation before saying 'yes' or 'no'?

SHRI MADHU LIMAYE : Who are you to prevent me ?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH : We only want to know whether the statement is correct or not. That is the only question. There is no need for a long explanatory statement.

श्री सदन विहारी बालदेवी (मालियार) : अध्यक्ष जी, इस के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप दोनों सदस्यों को मौका दे कि वे अपनी बात सदन में कहें। दूसरा तरीका यह हो सकता है चूंकि श्री मधु लिमये जी का

जबाब सभी सभी दिया है, इस लिये आप इस जबाब का उन के पास भेज दें और फिर आप निर्णय करें कि यह सबकुछ प्रिविलेज का मामला है या नहीं है। यदि है तो मदन में नार्ने दें, अन्यथा रद्द कर दें।

श्री मधु लिमये : बुकि सबन में यह जान आ गई है, मारे बख्तारों में घर चुकी है कि मेरे बिनाक विमोचकिकार का मवान है, इस लिये मुझे मफाई देने का मौका मिलना चाहिये।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : May I make a submission?

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha) : On a point of order on a procedural matter.

MR. SPEAKER : I will take your advice later. Shri Madhu Limaye has sent this reply about ten minutes ago.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I have to place before you evidence also. There is a campaign of calumny that he is carrying on outside this House. We cannot permit this to go on.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What is wrong in that?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : It is a systematic campaign. If he wants to reply, he can.

श्री मधु लिमये : Who are you to say 'I won't permit you'?

अभी आपने किफ न्यायालय को खत्म किया है, मविधान को खत्म नहीं किया है।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Sir, the *Indian Express*, Bombay edition, dated 30th April, 1973, reports a speech in which new Member from Banka constituency, Shri Madhu Limaye, is purported to have made a speech in Chowpathy, Bombay, on 29-4-1973. Besides asking the people to loot grain shops, he is reported as having said that the Prime Minister had a ring of goondas among the Members of Parlia-

ment who shouted down the Opposition Members whenever they rose to speak. This happens even when the Prime Minister herself remains present in the House; that is, the Leader of the House.

Here is a *prima facie* case of gross contempt of the House and breach of privilege of the House and its Members. Here is an attempt to bring the House into ridicule, to bring Parliamentary institutions into ridicule, and an attempt to intimidate the Members including the Leader of the House. Hence it is an attempt to undermine the power and prestige of Parliament which constitutes a very grave contempt.

That is why, I along with four other Members of this House, approached you under rule 222, and you were kind enough to allow me to raise it. I am waiting for the reply, but I must also, since I have got the opportunity today, tell you that this is not the only opportunity that he has used to carry on the campaign of calumny against the House. Yesterday, in his reply to you, he had the audacity to ask you to make us withdraw the question. You see this is the manner and the method of functioning which he has been systematically carrying on in the last House and now he has brought it again to this House. Otherwise, he has threatened to come out with Maruti. We are not afraid of it.

SHRI MADHU LIMAYE : I did not know that the hon. Member was involved in Maruti. How are you concerned with it?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : You know I am referring to the reply you have given yesterday.

SHRI MADHU LIMAYE : How are you concerned with Maruti?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : So, Sir, it is an insult to you and to the House to suggest that you can act as a post-office. That it was deliberate is clear from the subsequent statement in the House. Yesterday he said, ठीक है, जबाब मिल जायेगा। केवल इतना ही नहीं कहेंगे बल्कि मारी जान कहेंगे।

[Shri K. P. Unnikrishnan]

Whom is he trying to threaten ? वह मारी कानें क्या है ?

We will see now. Now, in an interview to the press in Poona on 29-4-1973, he is reported to have said—I quote from *Tarun Bharat*, Poona, dated 30-4-1973, page 8, column 7,—that Parliament is in the hands of goondas. I have a certified extract of the translation.

AN HON. MEMBER: Who has certified ?

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: Two Members; Mr. Sathe and Barrister Gadgil of the Rajya Sabha.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I shall read it. (*Interruptions*)

SHRI DINEN BBHATTACHARYYA (Setrampore) : It is not permissible. (*Interruptions*)

SHRI VASANT SATHE: It is in Marathi, and I am only assisting him in reading the Marathi.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, on a point of order. In a letter that has been addressed to the hon. Member he has raised a privilege issue relating to a specific speech delivered in Bombay. Now, he is referring to an interview at Poona. He is not permitted to do it.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I am giving additional evidence, which is permissible.

AN HON. MEMBER: Is this a criminal court or what ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रोसीजर का मामला उठाना चाहता हूँ। जब प्रधान मंत्री जी ने विरोधी दलों को गद्दार कहा था और हमने यह भावना सदन में उठाने की कोशिश की थी तो आपने कहा था कि जो भाषण सदन के बाहर दिए जाते हैं उनके बारे में प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जा सकता।

(व्यवधान) क्या अपोजीशन पार्टी के पार्लियामेंट में नहीं बैठती है ?

अध्यक्ष महोदय : पार्टी का आपन में बाहर जो कहती है वह बाहर कहे लेकिन जब नाम लेकर सदन के मेम्बर को कहा जाता है तो फिर वह हाउस में आता है। प्रधान मंत्री ने नाम नहीं लिया था। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह पता नहीं लगता कि कौन अपोजीशन में है ?

MR. SPEAKER: It is not a question of one against the other; it is not a question like that. He has mentioned the word 'goonda'.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गद्दार तो गुटे में भी उपादा खराब है। गद्दार कहना तो ट्रेंडर कहना हुआ।

MR. SPEAKER: Whatever has happened outside without bringing in Members of Parliament or this House, but only parties, you use the language on the platform, not specifically mentioning this House.

श्री मधु लिमये : यह कौन या प्रोसीजर है ? आप मुझे कहने दीजिए पहले। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: He has raised a point of order. I would like to tell Mr. Madhu Limaye that it is not a question of one against the other. Sometimes after the elections, the heat does not go for many weeks. I have personal experience of it; I had it in 1962. Do not try to interpret this word in a meeting in a particular manner. It is the word; the meaning is the same. If in the heat of the moment it was said, I would be happy if you say, well, it was said in the heat of the moment.

PROF. MODHU DANDAVATE: I had raised a point of order; you have not given your ruling. The hon. Member had raised a privilege issue which is related to a specific speech delivered in Bombay but is now bringing in additional press interviews given at Poona. He is mixing up issues; it is an extraneous matter.

MR. SPEAKER: He has said further also; he is entitled to mention in his speech.

13.00 hrs.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My point of order is this. When some hon. Members wanted to raise the question of privilege against the Prime Minister on the basis of some of her utterances outside the House, you did not allow those Members to make the complaint fully.

SHRI VASANT SATHE: They were not related to this House.

MR. SPEAKER: Will you please sit down?

SHRI VASANT SATHE: You can abuse our party. Don't refer that in this House.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Please hear me. In the same way, anybody can say that you are traitors.

MR. SPEAKER: Let me hear Shri Madhu Limaye.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: This is a point of procedure.

MR. SPEAKER: That is the same which he has raised.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: My point is that on previous occasions you were not pleased to allow the Members to make the complaint fully. Otherwise, it could have been established that the utterances of the Prime Minister were a clear breach of privilege. It is a right of the Members to make a complaint, and the breach of privilege has to be heard by the House and then a decision taken. You did not allow that on earlier occasions though the Members wanted to establish that the utterances of the Prime Minister were against the Members of Parliament.

MR. SPEAKER: When the Prime Minister uttered that on the platform, the reference was made to this House or the Members of the House. It was a party

meeting. In that no specific mention was made about the Members of this House. You must make this distinction. I am not prepared to give my ruling on it. You may say what you want to say on what is said outside. If anybody goes on saying like this in any language against a member on a platform outside, you have an ample opportunity to reply to each other. If that is about this House or its Members, then, of course, it must come inside the House. You may say what you want to say within two minutes.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: May I quote the translated version from the Poona edition of *Tarun Bharati*? It says:

'Parliament of today has literally become a Parliament of goondas and therefore, the Opposition Parties who are in minority are even denied their rights.'

The Parliament of India has literally become parliament of goondas, this is what was said on the morning of 29th at a place separated by time and distance, that is, the city of Poona. I have every reason to believe that what he said is factually reported. But, still, it is an open question. This systematic campaign against the Members and bringing the House to ridicule has to be stopped. If that is not stopped even if it is committed by a Member of the House or super-Member, as he styles himself, that would be a very sad day for the Parliamentary institutions and the future of the country. Nevertheless, there have been such deliberate attempts to bring the House into ridicule.

So, I would appeal to the House to take due notice of these words. Personally speaking I am very sorry to raise this because here is a man on whom I had pinned great hopes and for a very long time, I was associated with him in the Socialist Party.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: You are a turn-coat.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Therefore, I would appeal to him—what he said

[Shri K. P. Unnikrishnan].

need not be made a matter of privilege—to apologise before the House.

SHRI MADHU LIMAYE: Never.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I am taking your permission to move this Resolution and want leave of the House. . . .

MR. SPEAKER: Not now.

श्री लक्ष्मण कर्कर (पटियाला): मोक्षन तो पूरे पड़ेगे।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष जी अगर इजाजत देंगे तो प्रस्ताव लावेगा।

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: Against the Editor of the *Indian Express*.

MR. SPEAKER: Let me hear Shri Limaye. Let me listen to him.

SHRI K. P. UNNIKRIISHNAN: I shall reserve my right to move the motion after he says something.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I raised a point of Order that the privilege motion is about the factual statement in the papers. He should confirm whether it is properly reported or not, that is all.

MR. SPEAKER: This is what I asked yesterday. He said, he wanted to give some explanation. रात कुछ न कुछ कहा जाता है। हम जानते हैं कि आज का दिन ज्ञानि से गुजरेगा।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय जब मेरे भूतपूर्व माफी थी उन्नीकृष्णन् माहब अपना बकण्ड्य दे रहे थे तो उन की मैं ने एक बका थी मही टीका। इसलि मैं आज्ञा करना है कि वह और उन के साथी भी मूक को मही टांकेगे और पूरी जान मेरी गौर से सुन लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उन्नीकृष्णन् माहब ने कहा मेरे साथी थे। मेरी समझ से कही जाना वह छोट कर क्या मदे? माहब मेरे साथ रहने के जेल जाऊ बंदूक, लाठियां पानी पड़ती, इसलि मेरे साथ छोट कर बसे हैं, मुझे पता नहीं है।

समयवर, मेरे विचारक विवेकधिकार लभ की जी मोटिव कुछ काविस सदस्यों के द्वारा दी गई है उन को मैंने कम सरसरी तौर पर देख लिया था और आप से कहा था कि यह मोटिव बिल्कुल हान्यकारक है और इस को उन सदस्यों को बापम देना चाहिये। लेकिन श्रुति से सदस्य हम को उठाना ही चाहते हैं, मैं अपना बकाब आप के पास लेज रहा हूँ। इन को मदन के सामने रखने की मुझे इजाजत दी जाये।

हम सदस्यों का कहना है कि मैंने उन को "गुन्ना" कहा और हम ने उनकी और मदन की मान हानि हुई है। एक क्षण के लिये मान भी नीजिये कि मैं ने उन को "गुन्ना" कहा, तो मैं जानना चाहता हू कि हम ने विवेकधिकार का ममान कहा उत्पन्न हुआ है? इन लोगों की नेकी और भाग्य की प्रधान मंत्री दिन रात विरोधी दलों को और सदस्यों को गानी दिया करती है, उन को राष्ट्र विरोधी बहती है, कुछ दला और सदस्यों का विदेशी एजेंट भी कहती है, और हम गानी-गानी को प्रमाणित करने के लिये आवाजवाणी, विदवाणी आदि का इस्तेमाल करती है। क्या उन ने मदन की मानहानि नहीं होती है? मैं जानना चाहता हू कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता मंचम में राष्ट्र की रीन गो ऐसी बड़ी मेवा की है कि जिन से उन को दूसरी पर माछन लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। (अव्यवधान)

श्री ललि शूबन (दक्षिण दिल्ली): स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रधान मंत्री, उन के पिता और दादा मारे जाचिन थे।

अध्यक्ष महोदय: जान लीकी यह भी कि वह कहते हैं ने कहा है, या नहीं कहा है। उन के साथ मम्मा बीडा आचन कर कभी प्रधान मंत्री का ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं। मैंने उन को इजाजत दी है। इसलि मैं मुन मेने हीनिये।

श्री मधु लिमये:—प्रधान मंत्री का नाम मेरे ही हल्ला। (अव्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हर एक को ऐसीय नहीं करिष।

श्री मधु लिमये : एक एक कैंपिटिन्ट का मामला मैं बोलना हूँ।

क्या इन मदन में प्रधान मंत्री का नाम लेने पर कोई गेक है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता संधाम में राष्ट्र की कौन-सी ऐसी बड़ी सेवा की है कि—(अध्यक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को जो लिख कर दिया है, मैं उस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बाध भी बाहर से नहीं बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लम्बा-बीड़ा स्टेटमेंट कर रहे हैं। आप प्रधान मंत्री को बीच में ले जायें हैं। आप इर्रिजेंट बाने कह रहे हैं। आप ने यह नेटर मुझे अभी-अभी भेजा है। आप ने मुझे उन का देखने का मौका भी नहीं दिया है।

श्री मधु लिमये : क्या इन मदन में प्रधान मंत्री का नाम लेना जर्म हो गया?

अध्यक्ष महोदय : नहीं—अगर रेलिक्ट हो, तो।

SHRI C. M. STEPHEN : Sir, I rise on a point of order. It is purely a procedural matter. The stage at which we are, I suppose the consideration is whether you have given consent.

MR. SPEAKER : I am listening to Shri Limaye. But I am only requesting him that he should confine himself only to the points.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं? आप मुझे ही हथेला कहते हैं। मैं विल्कुल रेलिक्ट बाने कह रहा हूँ। अगर आप ने मुझे मदन में निकालना है, तो निकाल दीजिये। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, तो साफ़ कह दीजिए। जिन दिन मैंने यहां कबल रखा है, सब से आप मुझे क्या रहे हैं। (अध्यक्ष)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : We cannot be intimated like that.

MR. SPEAKER : I have heard the point of order of Shri Stephen. It was already mentioned by another hon. Member and I had given my ruling on that point of order.

श्री मधु लिमये : मजनीय सदस्यों को मामूम नहीं है कि पिछली लोक सभा में यह अध्यक्ष बनें, इन के लिए हमने भी प्रयास किया था। इसलिए मजनीय सदस्य उन को न रबायें।

अध्यक्ष महोदय : आईंग आईंग। आप मंग विन न करें।

श्री मधु लिमये : तो मैं अपने जघ्दां को बायिन लेना हूँ। हम भी आप से महयांग करना चाहते हैं।

MR. SPEAKER : I have known Shri Madhu Limaye since the last Lok Sabha. He never interrupted other hon. Members then. He always based his observations on certain facts of procedure. So, kindly listen to what he says. If he is wrong, it can be raised later. One thing about him is that he will never interrupt others. When he gets up, he gets up on solid ground. When he gets up, I am also sometimes put to some difficulty. But we have been tolerating each other and appreciating each other. Where he goes wrong, I tell him. Here the question is about an observation he made where he is supposed to have used the term "goonda". Instead of going into other reasons, this and that, it would be much better if he deals with this particular point.

If in a moment of heat you say like this—taking the cue from you, everywhere we will be mentioned like this outside. If my ruling goes, it is all right. I simply made a request. Kindly accept my request. You may speak.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बाध भी फाफनू नहीं बोलूँगा। मैंने आप को जो लिख भेजा है, उस को सुन लीजिए।

मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता संधाम में राष्ट्र की कौन-सी बड़ी सेवा की है कि जिस से उन को हमारे घर बांधन

[श्री मधु सिमरी]

लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। हम से उम्पेठ होते हुए भी इनकी सेवाएं हम से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं हैं। मेरे जैसे लोग न कई गुना ज्यादा दिन असेजो की जेलों में काटे हैं, योद्धा की पुरवाला सामन से मुक्त करने के लिए यातनायें सही हैं, उन की छोटी अदायत से बारह-बारह साल सजा पाई है। फिर भी ये हम लोगों को वाली देनी है और आप इन को नहीं राहने हैं।

पूना और बम्बई में मेरी जो आम सभाएं हुईं, उन में मैं देर तक बाना और वह असेजो में नहीं, मराठी और हिन्दी में। मराठी के अखबार में देखे हैं। मैं पांच अखबार लेकर आया हूँ। अगर आप कहें तो मैं उनसे से पढ़ कर मुनाऊ यह प्रिविलेज का प्रश्न मेरी बम्बई की म्पीच के बारे में है। अगर तबल भारत का लेकर बाई नया प्रिविलेज का प्रश्न है, तो उस का बाद में लिया जा सकता है।

उन अखबारों में जो मुमला जो उद्धरण असेजो का इन सदस्या न दिया है उस आनय का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मैं न जाना वह नीचे मंजूर में दे रहा हूँ -

'यह साक नभा में प्रवेश करने की कुछ बाधेमी सदस्या न हुलनडवाजी, गडई और पुडई शुरू कर दी है। उन्होंने क्रीमला किया है कि वे मुझे बोलन नहीं देंगे। कुछ लोग यह अखबराजी प्रश्न मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग तो यह काम उन्हीं के इमार पर कर रहे हैं। इन्होंने जो मन रही है कि वे केवल अपन मन की ही नेत्री नहीं, मदन की भी नेत्री है। मदन की नेत्री के माने व्यवस्थित बहम बनन देना, बिराही सदस्या क अधिकांश की रक्षा करना, यह अध्यक्ष क बाद उन्हीं का दायित्व होता है। उम्क। वे पूरा नहीं कर रही हैं। बात उनकी इन पद में त्यागपत्र देना चाहिए।

मुझे बांका-देवघर की जनता ने अक्षय सरकार पर बहुत लगाने के लिए भेजा है और वह काम मैं मुल्सीही के साथ करूंगा। मैं इस हुलनडवाजी पुडई और पुडई (गुडो से नहीं) बचने वाला नहीं सतद् अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर सकेंगी, जब वह जनता के दुख और बर्द का तथा आत्मा और आकांक्षाओं का दर्पण बनेगी। जब जनता की बातों का समझ में कहने का अवसर नहीं मिलेगा, तो भावना मझको पर औराहो पर कारनामों में, खेतों में और विश्व-विद्यालयों में नय होगा और हिमा अनिवाय रूप में बढ़ेगी।"

अध्यक्ष महाशय, मैं यह जानूँ कि आप ने कहा कि जैसे ही मैं आप की आशा से बोलने के लिए खड़ा हुआ जैसे ही हुलनडवाजी शुरू हो गई। बीच-बीच में टाकना, कुछ मवात करना, इन्फ-विनाद करना उनका मैं पसंद करना हूँ। लेकिन हुलनडवाजी कर के किसी का बोलन ही न देना इसका क्या मतलब है ?

किस के धपन आचरण से कांयसी सदस्या न किन एक बार माफिन किया है कि अब उनके पास कोई मन नहीं है, न कोई ठाम मुद्दा है। अपने पालवी बहुमत से बिग्राधिया का दबाना यह अब उनका एकमात्र मध्य रह गया है।

अध्यक्ष महाशय मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इनकी महारानी से मदन में नहीं आया हूँ। मैं अपने मनदानाभा की इच्छा में यहाँ आया हूँ और उनके आदेशों का मैं पालन करूँगा। अध्यक्ष महाशय, इन लोगों में जरा भी लगन हाती तो वे लोग धनमुकी बन कर साबित कि दो ताव बढ़ने जिन्होंने इनको वह भारी बहुमत दिया वही लोग आज इनको क्या ठुकरा रहे हैं ? लेकिन आत्म-विश्लेषण करना क बजाय में लोग मुझको और आप की दगने समझाने के अवसर दें हैं।

इन्होंने "इंडियन एक्स्प्रेस" के सम्पादक और सभासदाता के खिलाफ भी मोटिल दे दिया है। इन लोग का हर दिन मदन में जो आचरण है

उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हुल्लड़बाजी और मुर्दों की जगह पर यदि इन प्रखबार के संवाचना में "हुल्लड़बाजी" या "मुर्दा" शब्द का प्रयोग किया है तो कोई बहुत बुरा काम नहीं किया है। बिल राष्ट्रोद्घोषण का प्रधान मंत्री इन्तेजान करती है वह तो इससे भी बराबर है। मराठी में "मुर्दा" शब्द का अर्थ इतना बुरा नहीं है, एक कवि कहते हैं :

"पुल धवावा ऐसा मुर्दा,
ज्याचा तिन्ही लोकी जंडा ।"

डा० राम मनोहर लोहिया मेरे लड़के को भी गज कहा करने थे। इसलिए इन कार्रियों की मुर्दा कह कर "इंडियन एक्सप्रेस" ने सम्मान के उनका सम्मान ही किया है।

अध्यक्ष महोदय अब देखिये, मैंने यह हम कबाल से कहा कि उन्होंने जो कहा है उसी बान पर रहेंगे। लेकिन वह सम्मी-बोर्ड बातों में चले गए कि मराठी में इसका क्या मतलब होता है (अव्यवधान) — बात सुनिये। हम तो यहाँ बैठे हुए थे, हम समझने थे हम मन्त्री बनने आदमी है। जिस दिन मे आप भाए है हमें पना लगा है कि नहीं, हम मन्त्री आदमी नहीं है। यह बड़ी गलत बान है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इन्नीर करें तो कम से कम यहाँ से छोड़ कर चला आऊँ। यह बान ठीक नहीं है। . . (अव्यवधान) . . . यह कहलवाना बड़ा मुश्किल है। बल कोई इधर से बाहर उठेगा, वह उधर बानों का कह देगा। उधर बाला इधर बालों को कह देगा। यह बान बड़ी गलत है पार्लियामेंट की डिगनिटी के लिए। इसमें कोई ज़िद की बात नहीं है और हमसे और कोई बात नहीं है पार्टी की या और कोई बात नहीं है। बाहर आपस में पार्टी के प्लेटफार्म है। लेकिन जब मेम्बर का, हाउस का प्रश्न आता है तो हमसे आप बोझ सा संकोच करे। मेरी आप से बड़ी जाती रिस्पेक्ट है, मेरा निवेदन है कि आप ने अगर कह दिया है तो इसको कहिए कि . . . (अव्यवधान) . . .

श्री मधु लिमाये : मैंने मुर्दों और हुल्लड़बाजी कहा है। . . . (अव्यवधान)

12 Lsa/73—6.

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। अगर कोई हाउस में तकरीर होती, हाउस में स्पीच होती तो मे उसको डिस्मिट (भी कर सकता था, एकपक्ष कर सकता था। कहा आप ने बख़्तर, कैमला प्रवर हो रहा है। क्योंकि हाउस के बारे में डिस्मिट करने की बात हाउस के रेकार्ड में आती है। आपने प्रखबारों में बात कही। अब आप उसको दोहरा रहे हैं यहाँ। उसके साथ और भी बीस बातें आपने जोड़ दी . . . (अव्यवधान)

श्री बल्लभ साठे : अध्यक्ष महोदय, मुर्दों का मतलब ग़बरी, मुँटेरापन। यह मुर्दों कह करके और बर्न कर रहे हैं उसको।

श्री बहेन्द्र सिंह गिल (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, 29 मरीच को मैं भी जाम्ने में था और बीपाटी में था। जो इन्होंने यहाँ यह बयान दिया बिस्कुम गलन दिया है और यह सब कुछ उन्होंने यहाँ जलमे में कहा है कि मुर्दों का मरीच है (अव्यवधान) . . . पार्लियामेंट में अपोजीशन बानों को बोलने नहीं देते और कांसेसी मुर्द एम पी आप है पार्लियामेंट में, यह सब कहा है और इतने ज़ोर मे इन्होंने वह तकरीर की, इतनी जलमी से की . . . (अव्यवधान) . . .

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : May I make one submission? After having heard the hon. Member. Shri Madhu Limaye, it is clear that he had used it in the Marathi sense of the word; thereby, he has tried to convey to the House that there was no intention on his part to use it in the non-Marathi sense. To repeat, it is very clear that he wants to convey the impression to the House that he did not use it in the non-Marathi sense of the word. If he had used it in the non-Marathi sense, then there could be serious objection. (Interruptions) In the case of question of privilege, 'intention' should be there. The hon. Member says that he had no intention to use it in the non-Marathi sense of the word. Therefore, there was no intention on his part, and we can take his words that he wanted to convey.

MR. SPEAKER : Let him say that. Ask him to made it clear.

PROF. MADHU DANDAVATE : There is a distinction between liar and lie. Similarly, in Marathi, there is a distinction between Goonda and Goondai.

अध्यक्ष महोदय यह किम गलत बात को डिफेंड करने में आप लगे हुए हैं ?

श्री शंकर बवाल सिंह (बनरा) अध्यक्ष महोदय, बख्शान् माहब भी महाराष्ट्र से आते हैं, वह भी मराठी शब्द के अर्थ जानते हैं, उनमें पूछा जाय ... (बख्शान्)

अध्यक्ष महोदय : The common meaning of the word 'goonda' in this country is 'goonda'. We do not go by Maharashtrian interpretation. (Interruptions) देखिये, हम तो जो इस बात को समझते हैं, गुडा शब्द का वह यह है कि जैसा यह समझा गया है और जैसा यह समझा गया है गुडा शब्द, वह गलत है बिमकुल ।

श्री मधु लिमये : गुडा में बाला नहीं है ।

आप उस के ऊपर कलिय नहीं दे सकत है ।

आप इसके ऊपर एन्वयारी कमीशन बैठाइए ।

SHRI PILOO MODY (Godhra): Whether it is in Marathi, whether it is in Hindi, whether it is in English or Gurmukhi, what language would you use to describe this scene?

MR. SPEAKER : If you like this work, I can use that for you. But, all are gentlemen. I do not think you approve of this word.

SHRI PILOO MODI : I do not approve of it at all. I told you even yesterday.

MR. SPEAKER : I am leaving it to the House.

SHRI PILOO MODY : Some language has to be found to describe this sort of barracking.

MR. SPEAKER : Let the Committee interpret what is Goonda and what is Goondai. I am not here for interpreting the meaning of it. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE : The word attributed to Mr. Madhu Limaye has not been said. There cannot be any Privilege Motion.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शब्द के अर्थ में जाने की जरूरत नहीं है । श्री मधु लिमये ने कहा है कि उन्होंने गुडा शब्द का उपयोग नहीं किया । जो प्रीविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया गया है उसमें यही शिकायत है कि उन्होंने गुडा कहा । लिमये जी कहते हैं कि उन्होंने गुडा नहीं कहा । मामला खत्म हो गया ।

MR. SPEAKER जरा तक लपन गुडा का मवान है . (बख्शान्)

You say he said it. But the facts are denied. So far as 'goonda' is concerned the facts are denied He denies it I am not allowing this Privilege Motion (Interruptions)

SHRI K P UNNIKRISHNAN He has not denied it.

MR. SPEAKER : He says he did not say and it is wrongly reported How can I say he is wrong? This is also supported by Mr. Mishra, Mr. Vajpayee and others They say he did not say so.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : As far as as 'goondai' is concerned, I shall see what the meaning is just for my information.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : He said that he did not say it. He has completely denied it. He says that he did not use the word 'goonda'.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD (Bhagalpur) : Are we to understand that you have given the ruling that he said

that he had not used the word goonda but 'goondai'. Is it your ruling now that 'goondai' is a parliamentary word?

MR. SPEAKER : So far as the word 'goonda' is concerned, Shri Madhu Limaye has denied it. So far as the word 'goondai' is concerned, I shall have some research work done into it in Marathi and let the hon. Members know what the meaning is.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : He had said that he had not used that word. If he had said that he had said it and he had not withdrawn it, then I would certainly have allowed it.

श्री बल्लभ साठे : 'पार्लियामेंट के सदस्य लोक सभा में बदमाशी करने हैं' यदि ऐसा कहा जाय तो क्या आप उसको ठीक समझेंगे। बदमाश और बदमाशी शब्द में क्या फर्क है। इसी तरह में गुण्डा और गुण्डई में क्या फर्क है? आप सदन की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं—उसकी कोई तोहीन हो जाय तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप न कैमला दे दिया है, इस निम्ने अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब वह कहते हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं है, तो फिर इस का क्या इलाज है।

श्री बल्लभ साठे : मांगी पार्लियामेंट गुण्डई करने वाले लोगों से भरी है इसका क्या मतलब है? ... (व्यवधान) ...

श्री भागवत झा आकाश : जो गल श्री मधु लिमये की ने पड़ा है, उसमें उन्होंने कहा है—“मैंने गुण्डा नहीं कहा है, गुण्डई कहा है।” हिन्दी भाषा में गुण्डा और गुण्डई एक ही शब्दा के दो रूप हैं। उन्होंने जो पत्र पढ़ा है, उसमें यह स्पष्ट मान लिया है कि उन्होंने “गुण्डई करते हैं” कहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे इस की ओवर लुक कर सकते हैं, आप इसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दीजिए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER : May I tell the hon. Member that I have given my ruling only so far as the word 'goonda' is concerned? As for the other word 'goondai' he has already admitted, and I shall see what it means and what the interpretation of it is. (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN : Kindly permit me to raise a point of order.

MR. SPEAKER : Order, order.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : What for are we in the House?

(Interruptions)

प्रिविलेज मोशन आप कम्मांडर कर रहे हैं या बल्लभ साठे करेंगे?

MR. SPEAKER : आप पहले मेरी बात सुनिये। So far as the word 'goonda' is concerned he denies it. It is gone. जो गुण्डई शब्द है उसका मतलब मैं देखूंगा और उनके बाद मैं बतलाऊंगा।

श्री भागवत झा आकाश : यह कहा जाये वाजपेयी जो गुण्डई करने हैं तो आप मान लेंगे? या यह कहा जाये साठे अपोजीशन के मेम्बर गुण्डई करने हैं, यह ठीक है?

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati) : What about the privilege against the Indian Express?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय चर्चा हो रही है प्रिविलेज मोशन पर। गंडा शब्द के लिए मधु लिमये जो ने कहा कि मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। अब यदि और कोई आपत्तिजनक शब्द वह प्रयोग में लाये हैं तो उसके लिए समय में मोशन देना चाहिये और पृथक से आप उस पर विचार करें। इस समय जो आपकी इतिहास है उसे मानना होगा। इस समय तो यह आपकी इतिहास की ही चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Whether it is true or not—that is the question.

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूँ। (व्यवधान)

[संस्कृत शब्दों पर]

जहाँ तक वापका एतराज का वह गुंदा शब्द पर था, मित्रिजेज बोधन गुंदा शब्द पर था ।
(वापका) वाप सुनते क्यों नहीं है ?

So far as the word 'goonda' is concerned, he has completely denied it. Now the other word that is left is 'goondai'. I have told you a number of times that I am going to examine the meaning of it. If it means 'goonda', you will be allowed.

SHRI VASANT SATHE : Then reserve your ruling, examine it and give it on Monday.

MR. SPEAKER Shri Dharam Bir Sinha.

13.47 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF REGISTRAR OF NEWSPAPERS, STATEMENT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK) : On behalf of Shri Dharam Bir Sinha, I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Annual Report (Part 1) of the Registrar of Newspapers for India on Press in India, 1972.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above Report simultaneously.

[Placed in Library See No. Lt.-4942/73]

ANNUAL REPORTS OF GARDEN REACH WORKSHOPS, MAZAGON DOCK, GOA SHIPYARD FOR 1971-72, NOTIFICATION UNDER INDIAN SOLDIERS (LITIGATION) ACT, 1925 AND NAVY (AMDT.) REGULATIONS UNDER NAVY ACT, 1957.

SHRI J. B. PATNAIK : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions)

under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(a) Annual Report of the Garden Reach Workshops Limited, Calcutta, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4943/73].

(b) Annual Report of the Mazagon Dock Limited, Bombay, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4944/73]

(c) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Vasco-da-Gama, Goa, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [Placed in Library. See No. LT-4945].

(2) A copy of Notification No. S.R.O. 77 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 7th April, 1973 issued under section 3 of the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925. [Placed in Library. See No. LT-4946/73]

(3) A copy of the Navy (Prescribed Officers) (Amendment) Regulations, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O. 80 in Gazette of India dated the 14th April, 1973, under section 185 of the Navy Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-4947/73]

(Interruptions)

MR. SPEAKER : As for the meaning of the word 'goondai', I am keeping the decision open so far as 'goondai' is concerned. I have given my ruling on 'goonda'.

REVIEW & ANNUAL REPORT OF MYSORE IRON & STEEL LTD. FOR 1971-72.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA) : I beg to